न्यायालय सहायक कलेक्टर, बागोड़ा (जिला–जालोर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती गोमती शर्मा, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गणेशा पुत्र माना		1. सांवलाराम पुत्र रणछा
2. काला पुत्र माना		2. आदा पुत्र परबता
3. भीखा पुत्र माना		जातियान रेबारी निवासीगण
4. नरिंगा पुत्र माना		लाखणी तहसील बागोड़ा
5. रतना पुत्र माना		जिला–जालोर।
जातियान रेबारी निवासीगण		3. राजस्थान सरकार जरिए
लाखणी तहसील बागोड़ा		तहसीलदार, बागोड़ा
जिला–जालोर।		जिला–जालोर।
		4. शाखा प्रबंधक, एस.बी.बी.जे.
		शाखा बागोड़ा तहसील बागोड़ा
		जिला–जालोर।

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 53ए. व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री गोरधनराम विश्नोई, अधिवक्ता वादीगण
श्री वगताराम चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

मुकदमा संख्या :– 31/2016 दिनांक :– 13-12-19

–: निर्णय :–

उक्त वाद का विवरण विश्लेषण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 426 रकबा 1.22 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम चाही सोयम, खसरा नम्बर 427 रकबा 1.06 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम चाही सोयम, खसरा नम्बर 736 रकबा 1.24 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 737 रकबा 1.29 हैक्टेयर कुल रकबा 4.81 हैक्टेयर मौजा लाखणी में स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का 1/2 – 1/2 हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने अपनी–अपनी आराजी में आवागमन की सुविधा को देखते हुए रास्ते की आवश्यकता होने पर उक्त आराजी खसरा नंबर 426 रकबा 1.22 हैक्टेयर में से 0.04 हैक्टेयर भूमि राज्य सरकार हक में समर्पित कर दी, जिसका नामांतरणकरण संख्या 433 दिनांक 19.11.2014 के जरिए राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुका है। अब उक्त खसरा नंबर 426 में 1.18 हैक्टेयर आराजी शेष रही है यानि कुल रकबा 4.77 हैक्टेयर मौजा लाखणी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 – 1/2 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की शामलाती होने से काश्त करने में परेशानी रहती है। अतः वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने अपने हिस्से अनुसार उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बंटवाड़ा करने से इन्कार किया तथा उल्टी वादग्रस्त आराजी का बेचान करने, वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में दखलंदाजी करने व बेदखल करने की धमकी देने लगे। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में निवेदन किया गया कि बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किया जावे।

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया, परन्तु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब प्रतिवादी बन्द किया गया एवं वादीगण की साक्ष्य करवाई गई तथा प्रतिवादी वकील ने उपस्थित होकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा करने का निवेदन किया। इस पर वादी वकील ने सहमति जाहीर की।

उक्त वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर रेकर्ड व कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव अलग–अलग रंगों से नजरी नक्शा में आवागमन की सुविधा के अनुसार तहसीलदार बागोड़ा से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया, जो निम्नानुसार है :–

(1) गणेशा, काला, भीखा, नरिंगा, रतना पिसरान माना कौम रेबारी सा. देह खातेदार के बंट व हिस्से में आई भूमि :–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
427	1.06 हैक्टेयर	चा. सो 0.44	6.60
		जा. सो. 0.62	2.48
426 में से	0.05 हैक्टेयर	चा. सो. 0.02	0.30
		जा. सो. 0.03	0.12
736	1.24 हैक्टेयर	चा. सो. 0.49	7.35
		जा. सो. 0.75	3.00
737 में से	0.03 हैक्टेयर	चा. सो. 0.01	0.15
		जा. सो. 0.02	0.08
कुल 4	**2.38 हैक्टेयर**		**20.08**

(2) सांवलाराम वल्द रणछा, आदा वल्द परबता कौम रेबारी सा. देह खातेदार के बंट व हिस्से में आई भूमि :–

खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
426	1.13 हैक्टेयर	चा. सो 0.48	7.20
		जा. सो. 0.65	2.60
737	1.26 हैक्टेयर	चा. सो. 0.51	7.65
		जा. सो. 0.75	3.00
कुल 2	**2.39 हैक्टेयर**		**20.45**

उक्त विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं मौके पर आवागमन हेतु रास्ते को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। प्रस्ताव अनुसार नक्शा ट्रेस में अलग–अलग रंग से दर्शाया जाकर प्राप्त किया गया। विभाजन प्रस्ताव में लाल रंग से दर्शित भूमि वादीगण एवं हरे रंग से दर्शित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बंट व हिस्से की है।

हमने पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी, जिसमें वादीगण वकील ने बताया कि उक्त वादग्रस्त आराजी शामलाती होने से वादीगण के आवागमन हेतु रास्ते का अभाव है, जिसकी पुष्टि हल्का आर.आई. धुम्बड़िया द्वारा वक्त विभाजन प्रस्ताव की है। उपरोक्त शामलाती आराजी का विधिवत बंटवाड़ा विभाजन प्रस्ताव अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव पर एक दरख्वास्त पेश कर प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की गई कि उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा नहीं किया जावे।

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकर्ड, वादीगण साक्ष्य एवं प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बागोड़ा द्वारा विभाजन प्रस्ताव व प्रतिवादी वकील की आपत्ति का गहनता से अवलोकन किया, जिसमें यह पाया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज व वादीगण के रास्ते का अभाव होने से उक्त आराजी का बंटवाड़ा विभाजन प्रस्ताव व संलग्न नक्शे में दर्शित बंट व हिस्से अनुसार किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की प्रारम्भिक आपत्ति दरख्वास्त मैन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है।

—: डिक्री :—

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा लाखणी के खसरा नंबर 427 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 426 में से 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 736 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 737 में से 0.03 हैक्टेयर कुल रकबा 2.38 हैक्टेयर विभाजन प्रस्ताव में (लाल रंग से दर्शित) भूमि वादीगण के बंट व हिस्से में तथा खसरा नंबर 426 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 737 रकबा 1.26 हैक्टेयर कुल 2.39 हैक्टेयर की भूमि विभाजन प्रस्ताव में (हरे रंग से दर्शित) प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बंट व हिस्से की अन्तिम डिक्री घोषित की जाती है तथा उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार उक्त बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बागोड़ा को आदेश दिए जाते है तथा उपरोक्त बंटवाड़ा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 2 वादीगण के कब्जे काश्त तथा उपयोग—उपभोग में दखलंदाजी नहीं करें न ही करावे, इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के जारी की जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13/12/19 को सरे इजलास पढ़कर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर,
बागोड़ा

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gomati Sharma
Date: 2019.12.20 16:19:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: